

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 285 / 2025


दिनांक :28.01.2025

शुश्री कान्ता कुमारी (RJ01160), प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याया बोर्ड, अजमेर को दिनांक 17.02.2025 से 07.03.2025 तक 19 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 16.02.2025 एवं 08.03.2025 से 09.03.2025 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती कुमारी की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याया बोर्ड, अजमेर के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:—स्था.बी.2(4)/25/2017/898

दिनांक 28.01.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर को उनके पत्रांक 2866 दिनांक 18.01.2025 के सन्दर्भ में।
3. शुश्री कान्ता कुमारी (RJ01160), प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याया बोर्ड, अजमेर।
4. प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याया बोर्ड, अजमेर।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर।


सहायक रजिस्ट्रार